

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 64/2017 राजस्व अपील

1. मूला पुत्र बन्ना } जाति गुर्जर निवासी ग्राम गावडी उप तहसील
2. जतन पुत्र बन्ना } सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 03.02.2016 मुकदमा नं० 409/2016 सरकार बनाम मूला अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट।

उपस्थिति : श्री पदमसिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट उप०।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप०।

:- निर्णय :-

दिनांक: 06.10.2017

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि पटवारी हल्का मरियाडा द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स अतिक्रमी द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 94 रकबा 0.70 है० पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 03.02.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 03.02.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये तथा अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये ही



अति० जिला कलक्टर

दौसा

प्रकरण सं० 64/2017 राजस्व अपील

पटवारी हल्का की रिपोर्ट को सही मानकर निर्णय पारित किया है। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का कोई निर्णय व सबूत भी उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम गावडी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 94 रकबा 0.70 है० पर सरसों की काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 03.02.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। किन्तु अपीलान्ट्स के पश्चातवर्ती होने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान यह भी अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलान्ट्स निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण उप तहसीलदार सिकन्दरा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2016 को निरस्त करते हुए, प्रकरण उप तहसीलदार सिकन्दरा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया पालन करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली प्रकृत श्रुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दौसा